मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 02/02/2026 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण-

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02/02/2026 को सायं 05.30 बजे से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिवों द्वारा वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया गया। बैठक में समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

(01) विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजने संबंधी समीक्षा:-

विधान सभा बजट सत्र् फरवरी-मार्च, 2026 के प्रथम लॉट में मण्डी बोर्ड में कुल 12 विधान सभा प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें तारांकित प्रश्न क्रमांक 215, 217, 237, 258, 278, 358, 504, 480, 891 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 228, 268, 617 की समीक्षा उपरांत दिनांक 03.02.2026 तक सभी विधानसभा प्रश्नों के उत्तर प्रबंध संचालक से अनुमोदित कराकर शासन को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त संचालक(नियमन) द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक 617 अतारांकित के संबंध में सचिव, कृषि उपज मण्डी कटनी को दिनांक 03.02.2026 को अभिलेखीय रिकार्ड के साथ मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल बुलवाने की जानकारी दी गई जिसके संबंध में संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं संयुक्त संचालक(नियमन) को समन्वय कर उक्त विधान सभा प्रश्न का उत्तर तैयार कराकर शासन को समयावधि में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। विधान सभा बजट सत्र् के दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर नहीं रहेगा, इस संबंध में आवश्यक आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए गए।

(02) विधान सभा प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की समीक्षा:-

लंबित आश्वासनों की समीक्षा में नियमन शाखा के 18, शिकायत शाखा के 09, प्रांगण शाखा के 04, नवीन मंडी स्थापना के 04, निर्माण शाखा के 05 एवं स्थापना का 01 एवं वित्त शाखा का 01 इस प्रकार कुल 42 आश्वासनों के संबंध में सभी संबंधित

अधिकारियों को लंबित आश्वासनों की प्रगति प्रस्तुत करने एवं निराकरण की स्थिति का पालन प्रतिवेदन शासन को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(03) सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षाः-

सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों की संभागवार समीक्षा करने पर एल-1 पर 1027, एल-2 पर 596, एल-3 पर 2706, एल-4 पर 170 इस प्रकार कुल 4499 शिकायतें पेंडिंग पाई गई जिसमें से भावांतर भुगतान योजना से संबंधित एल-1 पर 957, एल-2 पर 559, एल-3 पर 2190, एल-4 पर 114 इस प्रकार कुल 3820 शिकायतें पेंडिंग पाई गई। मण्डी बोर्ड द्वारा दिनांक 29.01.2026 को भावांतर योजना के चतुर्थ चरण की राशि का भुगतान कृषकों के खाते में किया जा चुका है, जिसके डॉटा पोर्टल पर प्रदर्शित करने के तकनीकी सलाहकार को निर्देश दिए गए। भावांतर योजना की संभागवार लंबित सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा कर सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय को निर्देशित किया गया कि योजना के नियम निर्देश के तहत शिकायतों का निराकरण पोर्टल पर दर्ज करें। यदि कोई कृषक योजना अंतर्गत पात्रता नहीं रखता है, तो ऐसी सी.एम. हेल्पलाइन को सकारण फोर्स क्लोज किया जावे। उप संचालक(सीएम हेल्पलाइन) को निर्देश दिए गए कि वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की लंबित सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों को लिस्टेड कर इन पुराने प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण एक सप्ताह में करावें।

(04) भावांतर योजना के भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षाः-

भावांतर योजना के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी तक कैम्प लगाया गया जिसमें **Non FAQ** गुणवत्ता की गलत एन्ट्री से संबंधित 463 प्रकरण, डुप्लीकेट मोबाइल नम्बर से संबंधित 3950 प्रकरण, विक्रय संव्यवहार में नकद भुगतान प्राप्त करने से संबंधित 302 प्रकरण, भुगतान पत्रक निरस्त एवं सृजित नहीं होने से संबंधित 119 प्रकरण, एक से अधिक रजिस्ट्रेशन से संबंधित 48 प्रकरण एवं अन्य कारणों से संबंधित 620 मामले इस प्रकार कुल 5502 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। भावांतर योजना के चतुर्थ चरण की राशि का भुगतान दिनांक 29.01.2026 को किया जा चुका है तथा भुगतान हेतु शेष लंबित प्रकरणों के संबंध में एन.आई.सी. से व्यक्तिगत सम्पर्क कर कार्य में गति लाने हेतु तकनीकी सलाहकार एवं प्रोग्रामर श्री अग्निहोत्री को निर्देश दिए गए। कैम्प में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में संबंधित मण्डी सचिवों से प्राप्त प्रस्ताव पर संबंधित संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण, नियम अंतर्गत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों के संव्यवहार सत्यापन हेतु पोर्टल ओपन की कार्यवाही के प्रस्ताव सहित नस्ती शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(05) <u>भावांतर योजना के कार्य में लगे कर्मचारियों की वापसी</u>:-

भावांतर योजना के सुचारू संचालन हेतु संभाग की मण्डियों में कर्मचारियों को अन्य मण्डियों में कार्य करने के लिए आंचलिक कार्यालय स्तर से व्यवस्था हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कर्मचारियों को मूलमण्डी वापस करने के लिए मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 46-47 दिनांक 19.01.2026 से निर्देशित किया गया किन्तु आंचलिक कार्यालय स्तर से पालन प्रतिवेदन अप्राप्त होने पर पुनः पत्र क्रमांक 129-130 दिनांक 30.01.2026 से स्मरण कराया गया है। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त कर्मचारियों को अविलम्ब मूलमण्डी वापस कर पालन प्रतिवेदन 02 दिवस में मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

(06) <u>स्थापना संबंधी प्रकरणों की समीक्षा</u>:-

मण्डी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार से संबंधित प्रकरण, रिक्त मण्डी सचिवों के पदों की पूर्ति का प्रस्ताव तथा सीधी भर्ती अंतर्गत अनुसूचित जनजाति(बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के रिक्त पदों की मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराकर नस्ती प्रस्तुत करने के उप संचालक(स्थापना), मुख्यालय, भोपाल को निर्देश दिए गए।

समय-सीमा बैठकों के समीक्षा उपरांत दिए गए निर्देशों पर कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही विवरण जारी किए जाते हैं। समीक्षा दौरान संज्ञान में आया है कि जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। अतः विगत 06 माह में जारी कार्यवाही विवरणों को सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आगामी समीक्षा बैठकों में पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर भी समीक्षा की जावेगी।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरवार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 07-02-2026
15:44:57

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/फरवरी/2026/2389 भोपाल, दिनांक09/02/2026

<u>प्रतिलिपि</u>:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-भोपाल संभाग क्र-1/भोपाल संभाग क्रं.-2/होशंगाबाद(नर्मदापुरम)/इंदौर/खरगौन/उज्जैन/मंदसौर/ग्वालियर/मुरैना(चम्बल)/सागर/जबलपुर/सिवनी/रीवा।
8. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल